न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **मनोज गोयल**

अध्यक्ष

प्रकरण क्रमांक निगरानी 7059–पीबीआर/15 विरूद्ध आदेश दिनांक 15–01–15 पारित द्वारा कलेक्टर आफ स्टाम्प जिला भोपाल प्रकरण क्रमांक 108/ब–103/13–14/48(ख).

मेसर्स शिवा कन्स्ट्रक्शन्स कम्पनी भोपाल
द्वारा भागीदार पी.एस. चन्डोक
आत्मज स्व श्री एस.एस. चन्डोक
निवासी ई–4/153, अरेरा कॉलौनी भोपाल .....आवेदक

विरूद्ध

म0प्र0 शासन द्वारा उप पंजीयक कार्यालय, भोपाल .....अनावेदक

श्री मनोज पाटिल, अभिभाषक, आवेदक
श्री के0के0 पाण्डे, अभिषक, अनावैदक

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 6/10//6 को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी भारतीय मुद्रांक अधिनियम 1899 (जिसे संक्षेप में अधिनियम कहा जायेगा) की धारा 56 के अंतर्गत कलेक्टर ऑफ स्टाम्प जिला भोपाल द्वारा पारित आदेश दिनांक 15–01–15 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि महालेखाकार, म.प्र. ग्वालियर के ऑडिट दल की ऑडिट निरीक्षण टीप वर्ष 2011–12 की कंडिका– 4.2 में लिये गये आक्षेप के आधार पर उप पंजीयक द्वारा दस्तावेज क्रमांक 3537(1) दिनांक 16–01–2012 की प्रतियां कलेक्टर आफ स्टाम्प जिला भोपाल को प्रेषित की गई । कलेक्टर आफ स्टाम्प द्वारा प्रकरण क्रमांक 108/बी–103/13–14/48(ख) दर्ज कर दिनांक 15–01–15 को आदेश पारित कर कुल कमी शुल्क रूपये 34,240/–, कमी पंजीयन शुल्क 43,392/– एवं

अधिनियम की धारा 40 (ख) के अंतर्गत कमी मुद्रांक शुल्क के दो गुना अर्थदण्ड रूपये 68,480/– कुल राशि रूपये 1,46,112/– शासकीय कोष में जमा करने के आदेश दिये गये । कलेक्टर आफ स्टाम्प के इसी आदेश के विरूद्ध आवेदक द्वारा यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा लिखित तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं :–

(1) आवेदक को अधिनियम की धारा 48 (बी) के अंतर्गत दिये गये सूचना पत्र का उत्तर आवेदक द्वारा प्रस्तुत किया गया था, जिस पर कलेक्टर आफ स्टाम्प द्वारा कोई विचार नहीं किया गया है ।

(2) कलेक्टर आफ स्टाम्प द्वारा तथ्यों, दस्तावेजों, अभिलेख व विधि प्रावधानों का सूक्ष्मता से अध्ययन किए बिना ही आदेश पारित किया गया है ।

(3) उक्त दस्तावेज पर आवेदक द्वारा रूपये 30,000/– का स्टाम्प शुल्क दिया गया है तथा जो मुद्रांक दिया गया है, वह उचित है एवं अधिनियम द्वारा निर्धारित शुल्क से कहीं अधिक है ।

(4) आवेदक पर कोई मुद्रांक व पंजीयन शुल्क बकाया नहीं है, और न ही कम मुद्रांक या पंजीयन शुल्क अदा किया गया है, इसलिए आवेदक के विरूद्ध पारित आदेश निरस्त किये जाने योग्य है ।

(5) प्रश्नाधीन बंधक के संबंध में केवल अनुसूची 1 (क) के अनुच्छेद 51 के ही प्रावधान लागू, आकर्षित व प्रभावशील होंगे, जिसके अनुसार आवेदक द्वारा उक्त बंधक पर मात्र 250/– रूपये की मुद्रांक शुल्क तद्नुसार पंजीयन शुल्क देया था, जबकि आवेदक द्वारा 10 गुना अधिक मुद्रांक व पंजीयन शुल्क अदा किया गया है ।

(6) कलेक्टर आफ स्टाम्प के समक्ष प्रस्तुत प्रतिवेदन की कंडिका 2, बंधक (कब्जा रहित) विलेख से संबंधित है, जिसका उल्लेख अधिनियम की की अनुसूची 1 (क) के अनुच्छेद 40 (ख) में है, जबकि दस्तावेज कमांक 3535 (1) दिनांक 16–1–2012, जिसका उल्लेख सूचना पत्र में है, वह बंधक (कब्जा रहित) न होकर अधिनियम की अनुसूची 1 के अनुच्छेद 51 में वर्णित प्रतिभूति पत्र या बंधक विलेख है, और उस पर अनुसूची 1 (क) के अनुच्छेद 38 (ख) के अनुसार मुद्रांक शुल्क देय न होकर अनुच्छेद 51 के अनुसार मुद्रांक शुल्क देय है, जिस

पर कलेक्टर आफ स्टाम्प द्वारा कोई विचार नहीं कर आदेश पारित करने में भूल की गई है।

4/ अनावेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा लिखित तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं :–

(1) महालेखाकार, ग्वालियर की अंकेक्षण दल द्वारा निरीक्षण टीप वर्ष 2011–12 की कंडिका 4.2 में आक्षेपित किए जाने पर उप पंजीयक द्वारा प्रश्नाधीन लिखत को कमी मुद्रांक शुल्क वसूली हेतु अधिनियम की धारा 48 (ख) के अंतर्गत कलेक्टर आफ स्टाम्प को भेजा गया है ।

(2) कलेक्टर आफ स्टाम्प द्वारा प्रकरण दर्ज कर आवेदक को विधिवत सूचना पत्र जारी किये जाने पर आवेदक की ओर से उसके अभिभाषक द्वारा उपस्थित होकर जवाब प्रस्तुत किया गया । कलेक्टर आफ स्टाम्प विधिक के प्रावधानों के अंतर्गत विस्तृत आदेश पारित किया गया है, जिसमें हस्तक्षेप का कोई आधार नहीं है ।

(3) आवेदक द्वारा आदेश दिनांक से एक माह में आदेशित राशि जमा नहीं की गई है, इसलिए मूल प्रकरण को म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 के प्रावधानों के अंतर्गत राजस्व वसूली का प्रकरण कमांक 60/अ–76/14–15 अतिरिक्त तहसीलदार एवं वरिष्ठ जिला पंजीयक की हैसियत से दर्ज कर देय राशि के मांग पत्र जारी किये जा चुके हैं । आवेदक के अभिभाषक दिनांक 28–7–2015 को कार्यालय में उपस्थित होकर राशि जमा करने का निवेदन किया है, जो आदेश पत्रिका में अंकित। इस प्रकार आवेदक द्वारा राशि जमा करना स्वीकार किये जाने के पश्चात समय बाह्य निगरानरी प्रस्तुत की गई है, जो स्वीकार योग्य नहीं है ।

5/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । कलेक्टर ऑफ स्टाम्प्स के प्रकरण को देखने से स्पष्ट है कि विकय पत्र के साथ सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित विकास व्यय संलग्न नहीं था, इसलिये विकास व्यय का सहीं आकलन नहीं होने से शासन को राजस्व की हानि हुई है, अतः महा लेखाकार के आडिट दल द्वारा ली गई आपत्ति अपने स्थान पर सही एवं उचित है । ऐसी स्थिति में उक्त आपत्ति के आधार पर कलेक्टर ऑफ स्टाम्प्स द्वारा प्रकरण दर्ज कर आदेश पारित करने में किसी प्रकार की कोई अवैधानिकता अथवा अनियमितता नहीं की गई

है । इस प्रकार कलेक्टर ऑफ स्टाम्प्स द्वारा पारित आदेश वैधानिक एवं उचित होने से स्थिर रख जाने योग्य है ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर कलेक्टर ऑफ स्टाम्प जिला भोपाल द्वारा पारित आदेश दिनांक 15–01–15 स्थिर रखा जाकर निगरानी निरस्त की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर